मार्कफेड वनस्पति एवं सम्बन्धित उद्योग

बनाम

तरूण चटर्जी

14 सितंबर 2007

(दलवीर भण्डारी, जे.जे.)

अनुबंध-का गैर-निष्पादन-अप्रत्याशित घटना खंड को लागू करना समझौता - रेपसीड तेल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध के तहत, आपूर्तिकर्ता तेल की निर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा - निर्माताओं द्वारा रेपसीड तेल के उपयोग और प्रसंस्करण पर सरकार द्वारा प्रतिबंध की याचिका - माना गया, उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर अप्रत्याशित घटना के खंड को सही ठहराया था आकर्षित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रतिबंध में वनस्पति के निर्माण के लिए रेपसीड तेल के उपयोग को शामिल किया गया था, और रेपसीड तेल के निर्माण पर प्रतिबंध या प्रतिबंधित नहीं था।

मध्यस्थता-मध्यस्थ न्यायालय द्वारा गैर-बोलने वाला निर्णय जांच नहीं कर सकता मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया में-अदालत को गैर-बोलने वाले मध्यस्थता पुरस्कार का समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते

कि यह पार्टियों के समझौते का पालन करता हो और मध्यस्थ के कदाचार के कारण अमान्य नहीं हुआ हो-अनुबंध पार्टियों ने रेपसीड तेल की निर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया। यह प्रतिवादी-भारत संघ का मामला था कि आपूर्तिकर्ता-अपीलकर्ता डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार तेल की आपूर्ति करने में विफल रहा और इसलिए, अनुबंध रद्द कर दिया गया था। विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। आपूर्तिकर्ता का रुख यह था कि निर्माताओं द्वारा रेपसीड तेल के प्रसंस्करण के उपयोग पर सरकार द्वारा प्रतिबंध के कारण वह तेल की आपूर्ति करने में असमर्थ था। मध्यस्थ ने आपूर्तिकर्ता के खिलाफ बिना बोले फैसला दे दिया और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अदालत का फैसला नियम बना दिया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सप्लायर की अपील खारिज कर दी।

आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा दायर तत्काल अपील में, तर्क थे यह केवल समझौते में अप्रत्याशित घटना के खंड के संबंध में दलील तक ही सीमित है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसकी पुष्टि करते हुए एकल न्यायाधीश के फैसले में सही ढंग से कहा गया है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अप्रत्याशित घटना को शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वनस्पति के निर्माण के लिए रेपसीड तेल के

उपयोग पर प्रतिबंध था लेकिन रेपसीड तेल के निर्माण पर रोक या प्रतिबंध नहीं था। (पैरा 7 और 8) (960-सी-ई)

2. मध्यस्थता विवादों के समाधान का एक तंत्र या तरीका है इसके विपरीत अदालत पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार निजी तौर पर होती है। पक्ष सुनवाई के बाद चुने हुए मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय से बंधे होने के लिए सहमत होते हैं। सुसंगत और स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि गैर-बोलने वाले पुरस्कार में हस्तक्षेप का दायरा बेहद सीमित है। न्यायालय मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जाँच नहीं कर सकता। न्यायालय का प्रयास गैर-बोलने वाले मध्यस्थता पुरस्कार का सम्मान और समर्थन करना होना चाहिए, बशर्ते कि यह पार्टियों के समझौते का पालन करता हो और मध्यस्थ के कदाचार के कारण अमान्य नहीं किया गया हो। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 9, 15, 18 और 19) (960-एफ; 962-ए, एफ-एच; 963-ए)

मिस सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम सरकार। केरल एवं अन्य, (1989) 2 एससीसी 38; स्टेट ऑफ ए.पी. बनाम आर. वी. रायनिम, (1990) 1 एससीसी 433; बिजेंद्र नाथ श्रीवास्तव बनाम मयंक श्रीवास्तव एवं अन्य, (1994) 6 एससीसी 117; न्यू इंडिया सिविल इरेक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, (1997) 11 एससीसी 75; राजस्थान

स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड बनाम ईस्टर्न इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज एंड अन्य, (1999) 9 एससीसी 283; बिहार राज्य एवं अन्य। वी. हनुमान मल जैन, (1997) 11 एससीसी 40, पी.वी.; सुभा नायडू और अन्य। बनाम सरकार। ए.पी. एवं अन्य, (1998) 9 एससीसी 407; स्टार ई कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं अन्य। बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, (2001) 3 एससीसी 351 और डी.डी. शर्मा बनाम भारत संघ, (2004) 5 एससीसी 325, पर भरोसा किया।

पृष्ठ 110 पर मध्यस्थता पर रसेल 19वें संस्करण का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील संख्या 2668

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के एफ.ए. 2006 की संख्या 206 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.04.2006 से

एल. नागेश्वर राव, के.जी. भगत, विनीत भगत, हरि कुमार जी और नेहा जैन, देबाशीष मिश्रा - अपीलकर्ता के लिए।

विकास सिंह, एएसजी., शिल्पा सिंह, शिवा लक्ष्मी और आर.सी. कथिया, डी.एस. माबरा - उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

दलवीर भंडारी, जे.

1. यह अपील निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच दिनांक 17.4.2006 को एफएओ (ओएस) संख्या 206/2006 में पारित किया गया।

2. प्रतिवादी, भारत संघ ने दिनांक 29 जून, 1989 को निविदा जारी की तेल की खरीद के लिए. अपीलकर्ता ने दिनांक 15 जुलाई, 1989 के डी कोटेशन के माध्यम से 1600 मीट्रिक टन विभिन्न श्रेणियों के तेल की आपूर्ति करने की पेशकश की। जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

1. 200 एम टी एटजीरेट 24,150/- प्रतिमाह बाई 31.08.89 रिफाईन्ड कॉटन स्पीड ऑयल

2. 500 एम टी एटजीरेट 21,150/- प्रतिमाह बाई 31.08.1989 रेपीज्ड ऑयल

3. 300 एम टी एटजीरेट 24,550/- प्रतिमाह बाई 31.09.89 रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल

4. 500 एम टी एटजीरेट 22,000/- प्रतिमाह बाई 30.09.89 रेपीज्ड ऑयल

3. प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया अपीलकर्ता और परिणामस्वरूप प्रतिवादी ने 22 अगस्त, 1989 को एक पत्र के माध्यम से निविदा जारी की। अपीलकर्ता वितरण कार्यक्रम के अनुसार

तेल की आपूर्ति करने में विफल रहा। आपूर्ति का समय बढ़ा दिया गया था, जिससे प्रतिवादी के पास निर्धारित हर्जाना वसूलने का अधिकार सुरक्षित था। सारा सामान वितरित नहीं किया जा सका. अनुबंध रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता ने अप्रत्याशित घटना धारा का सहारा लिया।

4. विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा गया था। एकमात्र मध्यस्थ ने 20 जून, 1995 को अपना निर्णय दिया और प्रकाशित किया। अपीलकर्ता ने मध्यस्थ के समक्ष प्रार्थना की कि विभिन्न अवसरों पर समय के विस्तार को देखते हुए, समय अनुबंध का सार नहीं था। अपीलकर्ता ने सुरक्षा प्रदान करने सहित विभिन्न देरी को स्वीकार किया है, लेकिन कहा है कि यह अनजाने में हुई थी।

5. यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलकर्ता द्वारा सीमा और क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्तियां उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष दी गई थीं। डिवीजन बेंच के समक्ष, अपीलकर्ता ने अप्रत्याशित घटना खंड का लाभ मांगा क्योंकि सरकार ने निर्माताओं द्वारा रेपसीड तेल के उपयोग और प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। डिवीजन बेंच ने आक्षेपित फैसले में विशेष रूप से उल्लेख किया कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया था। इसलिए, हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील से अनुरोध किया कि वह अपनी दलीलें केवल संबंध तक ही सीमित रखें।इस मामले में उच्च

न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अप्रत्याशित घटना को लागू करने के खंड पर बहस की गई। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अदालत को संदर्भित दस्तावेजों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि वनस्पति के निर्माण के लिए रेपसीड तेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन रेपसीड तेल के विनिर्माण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इसलिए, यहां तक कि अपीलकर्ता द्वारा ली गई अप्रत्याशित घटना की दलील भी पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित पाई गई।

6. तत्काल मामले में मध्यस्थ ने एक गैर-बोलने वाला निर्णय दिया, जो 21 फरवरी, 2006 को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश द्वारा अदालत का नियम बनाया गया था। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एफएओ (ओ.एस.) संख्या 206/2006 को प्राथमिकता दी, जिसे भी 7 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। ,2006. अपीलकर्ता ने डिवीजन बेंच के उक्त आक्षेपित फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस न्यायालय ने 14 मई, 2007 को स्वीकृति दे दी।

7. खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय में इसकी पुष्टि करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में सही कहा गया है कि प्रतिबंध वनस्पति के निर्माण के लिए रेपसीड तेल के उपयोग पर था, लेकिन रेपसीड तेल के निर्माण पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

8. हमने श्री एल. नागेश्वर राव, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है अपीलकर्ता डी, और श्री विकास सिंह, विद्वान अतिरिक्त। प्रतिवादी, भारत संघ के लिए सॉलिसिटर जनरल। इस मामले में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार को अदालत का नियम बना दिया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अप्रत्याशित घटना की धारा को शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिबंध में वनस्पति के निर्माण के लिए रेपसीड तेल के उपयोग को शामिल किया गया था, फिर भी रेपसीड तेल के निर्माण पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। हम इससे सहमत हैं विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष, जिनकी प्रभाग द्वारा पुष्टि की गई बेंच।

9. सुसंगत एवं व्यवस्थित कानूनी स्थिति का दायरा यही है गैर-बोलने वाले पुरस्कार में हस्तक्षेप बेहद सीमित है। कई न्यायिक निर्णयों में कानूनी स्थिति का लगातार पालन किया गया है। उनमें से कुछ निर्णयों के निष्कर्षों को निम्नानुसार दोहराया गया है।

10. मिस सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम केरल सरकार एवं अन्य, (1989) 2 पृष्ठ 53 पर पैरा 29 में एससीसी 38, सब्यसाची मुखर्जी, जे. ने अदालत की ओर से बोलते हुए कहा कि गैर-बोलने वाले फैसले में अदालत फैसले के

तर्क की जांच नहीं कर सकती है। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल बोलने वाले फैसले में अदालत फैसले के तर्क पर गौर कर सकती है, और यह अदालत के लिए मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जांच करने और अटकलें लगाने के लिए खुला नहीं है, जहां मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है। जिसने उसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, मध्यस्थ के कारणों की तर्कसंगतता को चुनौती नहीं दी जा सकती। मध्यस्थ द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन कभी भी अदालत के लिए मनोरंजन का विषय नहीं होता है।

11. एपी राज्य बनाम आर.वी. रायनिम, (1990) 1 एससीसी 433, पृष्ठ 437 के पैरा 6 में यह न्यायालय, एक गैर-बोलने वाले पुरस्कार से निपटता है। अदालत ने कहा कि मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जांच करना अदालत के लिए खुला नहीं है, जहां उसने अपने फैसले के लिए तर्क प्रदान नहीं किया है।

12. यह न्यायालय, बिजेंद्र नाथ श्रीवास्तव बनाम मयंक श्रीवास्तव और अन्य, (19.94) पृष्ठ 133 पर पैरा 20 में 6 एससीसी 117 और पृष्ठ 138 पर पैरा 31 में यह देखा गया कि मध्यस्थ अपने द्वारा लिए गए निर्णय के समर्थन में कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि मध्यस्थता समझौते या निपटान विलेख के लिए ऐसा आवश्यक न हो। यदि मध्यस्थ या अंपायर अपने निर्णय के समर्थन में कारण देना चुनता है, तो कानून

की त्रुटि पाए जाने पर अदालत पुरस्कार को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी। हालाँकि, मध्यस्थ द्वारा दिए गए कारणों की तर्कसंगतता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह अदालत के लिए खुला नहीं है कि वह कारणों की तलाश करे और यह जांच करे कि वे सही थे या गलत। मध्यस्थ साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा का एकमात्र न्यायाधीश होता है। यह अदालत के लिए नहीं होगा कि वह मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य के न्यायाधीश होने का कार्य अपने ऊपर ले। न्यायालय को किसी पुरस्कार का समर्थन करने की इच्छा से संपर्क करना चाहिए, यदि यह उचित रूप से संभव है, न कि इसे अवैध कहकर नष्ट कर देना चाहिए।

13. न्यू इंडिया सिविल इरेक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, (1997) 11 एससीसी 75 में पृष्ठ 78 पर पैरा 7 में, न्यायालय ने एक गैर-बोलने वाले पुरस्कार से निपटने के दौरान देखा कि न्यायालय का प्रयास होना चाहिए हमेशा कानून के दायरे में रहकर पुरस्कार का समर्थन करें।

14. राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड बनाम ईस्टर्न इंजीनियरिंग में एंटरप्राइजेज और अन्य, (1999) 9 एससीसी 283 पृष्ठ 309 पर पैरा 44 में, कोर्ट एफ में यह देखा गया कि गैर-बोलने वाले फैसले में अदालत का अधिकार क्षेत्र सीमित है। जहां मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया हो कि किस बात ने मध्यस्थ को अपने निष्कर्ष पर

पहुंचने के लिए बाध्य किया, वहां अदालत अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उस मानसिक प्रक्रिया की जांच को स्वीकार करना भी संभव नहीं है जिसके द्वारा मध्यस्थ अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है जहां पुरस्कार की शर्तों द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसी तरह का दृष्टिकोण निम्नलिखित मामलों में लिया गया है, अर्थात्, बिहार राज्य और अन्य। वी. हनुमान मल जैन, (1997) 11 एससीसी 40, पी. वी. सुभा नायडू और अन्य। वि. सरकार. ए.पी. और अन्य, (1998) 9 एससीसी 407, स्टार कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी और अन्य, बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, (2001) 3 एससीसी 351 और डी.डी. शर्मा बनाम भारत संघ, (2004) 5 एससीसी 325।

15. इस न्यायालय के निर्णयित मामले यह दर्शाते हैं कि इस न्यायालय ने ऐसा किया है लगातार यह विचार रखा गया कि गैर-बोलने वाले पुरस्कार में हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद सीमित है। न्यायालय मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जाँच नहीं कर सकता। अदालत को गैर-बोलने वाले मध्यस्थता पुरस्कार का समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते कि यह पार्टियों के समझौते का पालन करता हो और मध्यस्थ के कदाचार के कारण अमान्य न हो।

16. रसेल ऑन आर्बिट्रेशन 19 वें संस्करण में पृष्ठ 110-111 पर वर्णित है मध्यस्थता की संपूर्ण उत्पत्ति इस प्रकार हैः-

"एक मध्यस्थ न तो एक निजी अदालत (जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण कहा जाता है) के एक निजी न्यायाधीश से अधिक या कम नहीं होता है, जो एक निजी निर्णय देता है (जिसे एक पुरस्कार कहा जाता है)। वह एक न्यायाधीश है जिसमें एक विवाद उसके पास प्रस्तुत किया जाता है; वह एक नहीं है केवल अन्वेषक, बल्कि एक व्यक्ति जिसके समक्ष सामग्री रखी जाती है। पक्ष, साक्ष्य और प्रस्तुतियाँ दोनों में से एक या दोनों होते हैं; वह कानून की कुछ मान्यता प्राप्त प्रणाली के अनुसार विवादकर्ताओं के बीच निष्पक्ष रूप से संतुलन बनाए रखने के अपने कर्तव्य के अनुसार निर्णय देता है और प्राकृतिक न्याय के नियम। वह निजी है जहां तक (1) उसे चुना जाता है। और विवादकर्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है (2) वह सार्वजनिक रूप से नहीं बैठता है (3) वह निजी तौर पर चुनी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है जहां तक ऐसा नहीं है सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल (4) जहां तक कानून अनुमति देता है, उसे राज्य न्यायालयों के बहिष्कार के लिए स्थापित किया जाता है (5) उसके अधिकार और शक्तियां केवल वही हैं जो उसे विवादकर्ताओं के समझौते द्वारा दी गई हैं (6) उसकी शक्तियों की प्रभावशीलता यह पूरी तरह

से अनुबंध के निजी कानून और तदनुसार प्रकृति से प्राप्त होता है। उन शक्तियों का प्रयोग अनुबंध के उचित कानून या इंग्लैंड की सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि सर्वोपरि सार्वजनिक नीति यह है कि अनुबंध की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।"

17. इस अनुच्छेद में रसेल ने जो कुछ भी उल्लेख किया है वह भारतीय मध्यस्थों के लिए भी उतना ही सत्य है।

18. मध्यस्थता विवादों के समाधान का एक तंत्र या एक तरीका है जो अदालत के विपरीत पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार निजी तौर पर होता है। पक्ष सुनवाई के बाद चुने गए मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय से बंधे होने के लिए सहमत हैं। न्यायालय का प्रयास यथासंभव पुरस्कार का सम्मान और समर्थन करना होना चाहिए।

19. हमने विद्वान एकल के पुरस्कार और निर्णय का अध्ययन किया है जिस न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार दिया गया है उसे न्यायालय का नियम और उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आक्षेपित निर्णय बना दिया गया है। हमारे सुविचारित विचार में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की

जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंजलि सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।